न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–भाड़ा नियंत्रक, डुमरी (गिरिडीह)।

झारखण्ड भवन (लिज, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 39 के अंतर्गत कार्रवाई

Execution वाद सं. 01/2022-23

इन्द्रजीत कुमार जायसवाल –बनाम– मसोमात मंजू देवी

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। वादी, श्री इन्द्रजीत कुमार जायसवाल, पिता स्व0 रामनारायण भगत, साकिन: ईसरी बाजार, थाना: निमियाँघाट, जिला: गिरिडीह के द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में यह Execution वाद प्रारम्भ करते हुए वादी एवं प्रतिवादी को नोटिस निर्गत कर उपस्थित होने हेतु निदेशित किया गया। वादी मकान मालिक हैं। उनके द्वारा न्यायालय, भाड़ा नियंत्रक–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी में संचालित निष्काशन वाद सं0 03/2022 में दिनांक 27.09.22022 को पारित आदेश तथा माननीय न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह के न्यायालय में Eviction Appeal Case No. 03/2022 'मंजु देवी(किराएदार)–बनाम–इन्द्रजीत कुमार जायसवाल(मकान मालिक)' में दिनांक 24.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड भवन(लिज, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 30(i) एवं (ii) के तहत किराया परिसर खाली कराने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया है। **–: किराया परिसर का विवरणी :–** वदी का मौजा इसरी, थाना नं0 0130, खाता नं0 29, प्लॉट नं0 662 भूमि पर अवस्थित मकान में स्थित कमरा, जिसका लम्बाई पू0 से प0 8 फिट व चौड़ाई उ0 से द0 लगभग 08 फिट, चौहदी है: उ0 शंभु जायसवाल, द0 गायत्री मेन्सन का रास्ता, पू0 मकान मालिक, प0 स्टेशन रोड। ------------------------------------ निर्गत नोटिस के आलोक में केवल वादी उपस्थित हुए। प्रतिवादी को विधिवत कुल 03 तीन नोटिस का तामिला कराया गया। तीनों बार प्रतिवादी के द्वारा नोटिस प्राप्त करने से इनकार किया गया, तदुपरान्त विधिवत दो स्वतंत्र गवाहों के उपस्थिति में किराया परिसर के दिवाल में नोटिस चस्पा कर तामिला कराया गया। इस वाद में प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 15.09.2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर एक आवेदन समर्पित किए जिसमें दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि वे उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह न्यायालय के वाद सं. 03/2022 में पारित आदेश के विरूद्ध में आयुक्त महोदय के न्यायालय में वाद दाखिल किए हैं, जिसका वाद सं. 63/2023 है। प्रतिवादी के द्वारा अनुरोध करते हुए यह कहा गया है कि जबतक आयुक्त न्यायालय से कोई फैसला नहीं आ जाता है तबतक किसी भी प्रकार का कार्यवाही नहीं किया जाय। परन्तु, इस संदर्भ में प्रतिवादी के द्वारा माननीय आयुक्त न्यायालय, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, के	

न्यायालय में दायर JBC रिविजन वाद सं. 63/2023 में इस न्यायालय में संचालित Execution वाद सं. 01/2022-23 में कार्यवाही रोकने से संबंधित कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है और न हीं प्रतिवादी के द्वारा इस संदर्भ में कोई स्थगन आदेश की प्रति संलग्न किया गया है।

जबकि, वादी का इस वाद में कहना है कि उनका किराया परिसर प्रतिवादी के द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद खाली नहीं किया जा रहा है, जो कि न्यायालय के ओदश का अवहेलना है। प्रतिवादी माननीय आयुक्त के न्यायालय में अपील किए हैं, परन्तु उनके द्वारा वर्तमान सुनवाई से संबंधित कोई स्थगन आदेश निर्गत की प्रति न्यायालय को समर्पित नहीं किया गया है। जो कि न्यायालय के बहुमूल्य समय का बर्बादी है और कुछ नहीं। वादी के द्वारा बताया गया कि किराया परिसर को वे अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, परन्तु किराया परिसर खाली नहीं होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वादी के द्वारा न्यायालय से दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए किराया परिसर खाली कराने का अनुरोध किया गया।

--------- **आदेश** ----------

झारखण्ड भवन(लिज, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 30(i) एवं (ii) के आलोक में निष्काशन वाद सं0 03/2022 में दिनांक 27.09.2022 को पारित आदेश जिसे माननीय न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह के न्यायालय में दायर Eviction Appeal Case No. 03/2022 'मंजु देवी(किराएदार)-बनाम-इन्द्रजीत कुमार जायसवाल(मकान मालिक)' में दिनांक 24.07.2023 को पारित आदेश में यथावत रखते हुए अग्रिम के सामंजन हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में किराएदार के द्वारा अग्रिम के सामंजन हेतु कोई कारणपृच्छा एवं विवरणी समर्पित नहीं किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु किराया परिसर खाली कराने के लिए दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें तथा निमियाघाट थाना को विधि-व्यवस्था संधारण करने हेतु आवश्यक संख्या में पुलिस बल(महिला एवं पुरूष) की प्रतिनियुक्ति दण्डाधिकारी के साथ करने हेतु निदेशित करें। इस आदेश के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं सशोधित

अनुमण्डल पदाधिकारी, -सह-भाड़ा नियंत्रक डुमरी।	अनुमण्डल पदाधिकारी, -सह-भाड़ा नियंत्रक डुमरी।

Digitally signed by MOHAMMAD SHAHJAD PERWEZ
Date: 2024.07.25 18:20:34 +05:30
Location: 192.168.144.188